न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.
राजस्व अपील :: 03/2016 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
सुरजमल पुत्र पूनमचन्दजी जाति कुम्हार ठिकाना इन्दिरा कॉलोनी विस्तार इमानुअल स्कूल के पास, पाली जरिये आम मुख्तियार किरण सिंह पुत्र अचलसिंह राजपुरोहित निवासी धौला चौतरा, पाली		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार, पाली 2. नगर परिषद, पाली जरिये आयुक्त

अपील अन्तर्गत धारा 90(9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से एडवोकेट श्री नवीन दवे

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 22.02.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 90(9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त नगर परिषद, पाली) के प्रकरण संख्या 18/14 में ग्राम मानपुरा के खसरा नम्बर 128 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2014 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सूनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाण्ट की ग्राम मानपुरा के खसरा नम्बर 128 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी, काश्त एंव कब्जाशुद कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि का अपीलाण्ट द्वारा कभी भी, किसी को भी विक्रय, हस्तांतरण नहीं किया गया है तथा आज भी मौके पर अपीलाण्ट काबिज है। अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर कृषि की जा रही है तथा जिसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैर अपील भूमि पर अवैध रूप से कब्जे की नियत से कुछ लोगों द्वारा अपीलाण्ट के नाम का फर्जी व कूटरचित दस्तावेज अवैध रूप से तैयार करवाया गया था व अवैध कब्जा करने की कार्यवाही की गई थी। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा सहायक कलेक्टर, पाली के न्यायालय में वाद संख्या 01/01 दायर किया तथा इसके साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 07/01 भी दायर किया। उक्त दोनों ही प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रकरणों में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तहसीलदार पाली पक्षकार होने से उनकी जानकारी में है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ मानते हुए भूमि को नगर परिषद पाली के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दिया गया है। जबकि पटवार हल्का हेमावास द्वारा उप जिला कलक्टर महोदय पाली के आदेश क्रमांक कोर्ट/राजस्व/2001/374 दिनांक 17.02.2001 के क्रम में दिनांक

क्रमश.....2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

24.02.2001 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जिसमें भूमि के चारों तरफ धोरा लगा हुआ बताया एवं एक कमरा 10 बाई 15 फीट का पट्टिया खडी कर बना हुआ बताया है तथा कमरे के अलावा भूमि खड़ाई की हुई बताई है तथा उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त आराजी का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ नहीं हो रहा है एवं खातेदार सुरजमल का कब्जा है। न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार पाली से तलब की गई मौका रिपोर्ट में भूमि पर कृषि नहीं की जा रही है एवं भूमि मौके पर पड़त है तथा उक्त खसरा नम्बर 128 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा की भूमि पर प्लॉट नहीं काटे हुए है। एक कच्चा छीणों से जीर्ण शीर्ण कमरा बना हुआ है। भूमि पर अन्य कोई मकानो का निर्माण नहीं है। भूमि नगर परिषद पाली के नाम गै.मु.आबादी दर्ज है। नगर परिषद द्वारा कृषि भूमि को धारा 90 ए के तहत गै.मु.आबादी दर्ज करने हेतु संबंधित खातेदार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। पत्रावली में उक्त खसरा नम्बर में भूखण्ड काटे जाने का जिक्र किया गया जो असत्य है। अखबार में इस बाबत किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। अखबार की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। नगर परिषद पाली द्वारा उक्त भूमि का मौका देखा गया हो इस बाबत कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकार समूची कार्यवाही मनमाने तरिके से स्वेच्छा अनुसार बिना किसी नियमों के पालना किए। उक्त भूमि को गै.मु.आबादी नगर परिषद पाली के नाम करने के आदेश अन्तर्गत धारा 90 ए पारित कर दिए। जो खारिज किए जाए।

वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा वक्त बहस कथन किया कि भूमि आबादी क्षेत्र के पास स्थित है। ऐसी भूमि जिसका कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं होता है तथा आस–पास आबादी बस जाती है। उनको नगरपरिषद पाली द्वारा अखबार में लोक सूचना जारी कर धारा 90 ए के तहत गै.मु. आबादी नगर परिषद पाली के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए जो विधि सम्मत है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1946 दिनांक 18.02.2014 जारी की गई। जिसमें सात दिवस की अवधि में आक्षेप आमंत्रित किए गए थे। लोक सूचना में दी गई अवधि में अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का एतराज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए की उपधारा 8 के अन्तर्गत कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाकर राज्य हित में पूर्नग्रहण किए जाने आदेश दिए गए। जो विधि अनुरूप है। पटवारी हल्का हेमावास की विभिन्न मौका रिपोर्टो में भी जैर अपील भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ नहीं किए जाने का उल्लेख है। उपखण्ड अधिकारी पाली के समक्ष वकील अपीलाण्ट के कथनानुसार विचाराधीन प्ररकण में नगर परिषद पाली पक्षकार नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं नगरपरिषद पाली की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में खातेदार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र उसकी खातेदारी भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ नगर परिषद पाली के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है, न ही विधिवत पत्रावली कायम कर प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की गई है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....3

यहां तक की पत्रावली पर नम्बर भी दर्ज नहीं किए गए। सीधा खसरा नम्बरान की सूची अखबार में सूचना जारी करने हेतु पत्रावली में उल्लेख है तथा यह भी उल्लेख है कि जैर अपील भूमि पर भूखण्ड काटे जा चुके है तथा मौके पर खेती नहीं हो रही हैं। जबकि इस बाबत कोई भी जांच रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं हैं न ही जिस अखबार में लोक सूचना जारी की गई उसकी प्रति ही संलग्न है। न ही इसके कही चस्पा किए जाने का उल्लेख है। कार्यालय टिप्पणी में उक्त कार्यवाही बाबत काई तारीख का भी उल्लेख नहीं है। तत्पश्चात राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 क की कार्यवाही किए जाने के निर्णयार्थ पत्रावली पेश हुई एवं 04.03.2014 को निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार मानपुरा के खसरा नम्बर 128 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 क के तहत आबादी भूमि नगर परिषद पाली के नाम दर्ज करने हेतु नियमों की पालना नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से सिद्ध है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में जैर अपील भूमि पर प्लॉट नहीं कटे हुए बताये गए है। भूमि मौके पर पड़त है तथा अन्य कोई मकान नहीं बने होने का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को विधिक नियमों की बिना पालना किए, बिना मौका देखे आबादी में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। नगरपरिषद पाली द्वारा की गई कार्यवाही व पारित आदेश दिनांक 04.03.2014 नियमानुसार व विधी सम्मत नही होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 18/14 बअनवान सरकार बनाम सुरजमल आदेश दिनांक 04.03.2014 को निरस्त किया जाकर प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी (नगर परिषद क्षेत्र) आयुक्त न.प., पाली को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधि अनुरूप पत्रावली कायम कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत दिए गए नियमों की पालना करते हुए उप धारा 8 के अन्तर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन के उपयोग करने पर बाद जांच संबंधित खातेदार द्वारा कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि प्रयोग करने पर खातेदारी अधिकार समाप्त कर राज्य हित में पुर्नगृहित किए जाने के संबंध में वर्तमान नियमानुसार कार्यवाही करें। तहसीलदार पाली एवं नगर परिषद पाली को उनके मूल रेकर्ड के साथ निर्णय की सत्य प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)